Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 21/01/2020

File No. HK/1/2019/MHRD2/DEOTH/RU-III

सेवा में,

1 सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

2 सचिव,
विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग,
बहादुर शाह जफर मार्ग,
आईटीओ मेट्रो गेट नंबर 3, रोड,
नई दिल्ली – 110002

3- कुलपति,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
विज्ञान संकाय, विश्वविद्यालय एन्क्लेव,
नई दिल्ली – 110007

विषयः दिनांक 11–12–2019 को श्री हर्षद भाई चुनिलाला वसावा, माननीय सदस्य द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग दिल्ली विश्वविद्यालय, के अधिकारियों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर छिंदवाड़ा कलेक्टर के साथ हुई बैठक में दिनांक 11–12–2019 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को **30 दिन** के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर के दुबे)
सहायक निदेशक

(1) SAS Nic

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- HK/1/2019/MHRD2/DEOTH/RU - III)

श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्चशिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने, बार-बार भेदभाव कर मानसिक उत्पीड़न करने व धमकी देने के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री हर्षद भाई चुन्नीलाल बसावा की अध्यक्षता में दिनांक 11.12.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 11.12.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्चशिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने व मानसिक उत्पीड़न के संबंध में आयोग को आवेदन दिया था। प्रकरण में दिनांक 25.07.2019 को आयोग की पिछली बैठक हुई थी जिसमें की गई अनुशंसा निम्नानुसार है-
    - दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अभ्यावेदक हिमांशु कुमार की उत्तर पुस्तिका की जांच किसी अन्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर (तृतीय पक्ष) से कराई जाए। जिससे इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो तथा निष्पक्षतापूर्ण तरीके से मूल्यांकन हो सके।
    - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यावेदक को छात्रवृत्ति की राशि प्रदान किया जाना सुनिश्चित की जाए।
2. आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20.09.2019 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया था कि अभ्यावेदक के उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन तृतीय पक्ष द्वारा कराया जा चुका है। आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त तिथि निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया गया था।
3. आयोग के माननीय सदस्य श्री हर्षद भाई चुन्नीलाल बसावा द्वारा प्रकरण में दिनांक 11.12.2019 को दोपहर 11.30 बजे बैठक निर्धारित की गई थी। इस संबंध में दिनांक 22.11.2019 को सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय को बैठक का नोटिस भेजा गया था।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. दिनांक 11.12.2019 को आहूत बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से श्री यूआर. नायक, यूडीएससी व श्री एस. के डोगरा, यूडीएससी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से डॉ. जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव तथा डॉ. जी. एस. चौहान, संयुक्त सचिव उपस्थित हुए थे।
5. आयोग ने पहले अभ्यावेदक का पक्ष जानना चाहा। अभ्यावेदक ने बताया कि वर्ष 2017 के पहले सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक परीक्षाओं में फेल कर दिया गया जबकि प्रायोगिक परीक्षा में मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। अगस्त 2018 में मुझे पुनः नामांकन लेना था उस समय विभाग के प्रोफेसर द्वारा मुझे कहा गया कि छात्रावास छोड़ दो तब तुम्हारा नामांकन होगा। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से अनुसूचित जनजाति वर्ग में एम.टेक में सिर्फ दो लड़कियों को पास किया गया है। दिसंबर 2018 की सेमेस्टर परीक्षा में मुझे दुबारा फेल किया गया जिससे मैं अभी दूसरे सेमेस्टर में ही हूं जबकि अब तक मेरी डिग्री पूरी हो जाती। विभाग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाली छात्रवृत्ति से भी वंचित रखा गया। छात्रवृत्ति की जानकारी विभाग द्वारा दी जानी चाहिए लेकिन किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। मैं आवेदन पर विभागाध्यक्ष से हस्ताक्षर के लिए गया तो उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। उत्तर पुस्तिका की जांच में विभाग द्वारा भेदभाव किया जाता है।
6. दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के प्रतिनिधि अधिकारी ने बताया कि एम.टेक एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है इसमें पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। विभाग द्वारा उत्तरपुस्तिका की कोडिंग की जाती है तब मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है। पुनः वापस आने पर उत्तर पुस्तिका डीकोड की जाती है। इसमें परीक्षकों को यह नहीं पता होता है कि वे किस छात्र की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन कर रहे हैं इसलिए इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।
7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि अधिकारी ने बताया कि आवेदन द्वारा यूजीसी के पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया गया था। उसके लिए सभी निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके लिए अलग से पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल पर प्राप्त आवेदन की जांच कर छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाती है।
8. अभ्यावेदक ने बताया कि विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। विभाग की यह जिम्मेदारी होती है कि सूचना पट्ट पर सूचना लगाई जाए। विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है।
9. दिल्ली विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रोफेसर ने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा केवल 10 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यूजीसी के

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

द्वारा अगर किसी प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है तो उसकी जानकारी विभाग को नहीं थी। अभ्यावेदक के द्वारा जब उसके लिए आवेदन किया गया था उस समय वे पहले सेमेस्टर में फेल होने के बाद वे विभाग के वैध छात्र नहीं थे इसलिए उनके आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।

10. अभ्यावेदक ने बताया कि विभाग द्वारा जानबूझकर छात्रवृत्ति की जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जाती है। यह छात्रवृत्ति यूजीसी द्वारा 7-8 वर्षों से दी जा रही है।
11. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग द्वारा की गई अनुशंसा निम्नानुसार है :-
    - दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित जनजाति के कितने छात्र एम.टेक पाठ्यक्रम और पी.एचडी में दाखिला लिए हैं और उनकी स्थिति क्या है इस संबंध में आयोग को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।
    - उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग को मूल्यांकन करने वाले अन्य संस्थानों की सूची उपलब्ध कराए। आयोग द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए संस्थान व परीक्षक का नाम निर्धारित किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात तृतीय पक्ष द्वारा उत्तरपुस्तिका आयोग को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए और आयोग के समक्ष ही उसे खोला जाएगा।
    - दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए उपलब्ध सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के संबंध में जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक प्रचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि जानकारी के अभाव में वे अवसरों से वंचित न रह जाएं। इसलिए विश्वविद्यालय भी वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, ब्रोशर आदि पर सूचना चस्पा की जानी चाहिए। यूजीसी या अन्य संस्थानों द्वारा दी जानेवाली छात्रवृत्तियों का भी विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ग के छात्र-छात्राओं में प्रचार किया जाना चाहिए।

    कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात अपने द्वारा की गई कार्यवाही से आयोग को 1 माह के अंदर अवगत कराएं।

16.01.2020

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- HK/1/2019/MHRD2/DEOTH/RU - III)

श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्चशिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने, बार-बार भेदभाव कर मानसिक उत्पीड़न करने व धमकी देने के विषय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री हर्षद भाई चुन्नीलाल बसावा की अध्यक्षता में दिनांक 11.12.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची–

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) श्री हर्षद भाई चुन्नीलाल बसावा, माननीय सदस्य
  - (2.) श्री के. तऊथांग, संयुक्त सचिव
  - (3.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (4.) श्री आर. के दुबे, स. निदेशक
  - (5.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी**
  - (1.) श्री यूआर. नायक, यूडीएससी
  - (2.) श्री एस. के डोगरा, यूडीएससी
- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी**
  - (1.) डॉ. जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
  - (2.) डॉ. जी. एस. चौहान, संयुक्त सचिव
- **अभ्यावेदनकर्ता**
  - (1.) हिमांशु कुमार